रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-09072026-274318
CG-UP-E-09072026-274318

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948
No. 550]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 608(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन और नौचालन सहायक श्रेणी-I (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता— वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह संविदा की है अथवा

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ रेडियो तकनीशियन	16* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख", अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर-6 (₹35,400-1,12,400)	चयन	अधिकतम 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक छूट की जा सकती है) । **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता : i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स; या संचार; या दूरसंचार; या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार; या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार; या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स; या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री; या उपरोक्त किसी भी विषय में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्था परीक्षा के खंड 'ए' और 'बी' में उत्तीर्ण; या इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स की एसोसिएट सदस्यता। अथवा ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स; या संचार; या दूरसंचार; या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार; या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार; या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स; या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। **टिप्पण:** जिन उम्मीदवारों के पास इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियर्स के एसोसिएट्स मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियर्स के एसोसिएट्स मेंबर (इलेक्ट्रिकल); या इंस्टीट्यूट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से स्नातक की योग्यता है, और जो 31 मई, 2013 तक इन संस्थाओं में दाखिला ले चुके थे, वे विचार के लिए अर्ह होंगे। **अनुभव:** डिप्लोमा धारकों के लिए वायर्ड या वायरलेस संचार प्रणाली; या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली; या रडार प्रणाली; या इलेक्ट्रॉनिक नौचालन प्रणाली; या रेडियो ट्रांसमीटरों की स्थापना; या रखरखाव में दो वर्ष का अनुभव आवश्यक है। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती और प्रोन्नति दोनों के लिए 2 वर्ष। **टिप्पणी :** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण करना होगा।	(i) सड़सठ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) तैंतीस प्रतिशत पदोन्नति द्वारा; जिसके न होने की दशा में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा।

प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्रशिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (₹29200-92300) के रेडियो तकनीशियन जो उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो और विभाग द्वारा प्रदत कम से कम 02 से 04 सप्ताह का नौचालन सहायता से संबन्धित अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):-** केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय अथवा वैधानिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (a) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (₹29200-92300) या समकक्ष में नियमित नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; और	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु) जिसमे निम्नलिखित होंगे : -** (1) वरिष्ठ उप महानिदेशक, दीपस्तंभ एवं दीपपोत – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ निदेशक, दीपस्तंभ एवं दीपपोत – सदस्य; (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से एक अधिकारी जो दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय का कार्य देखते हो -सदस्य. **विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (1) वरिष्ठ उप महानिदेशक, दीपस्तंभ एवं दीपपोत – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ निदेशक, दीपस्तंभ एवं दीपपोत – सदस्य; (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से एक अधिकारी जो दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय का कार्य देखते हो -सदस्य.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(b) जिनके पास स्तंभ (7) के अंतर्गत निर्धारित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव हो। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी दूसरे संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा) की अवधि सहित, साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12081/1/2021-प्रशासन-I]

एन. मुरुगानंदम, महानिदेशक

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(Directorate General of Lighthouses and Lightships)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 608(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Shipping, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Senior Radio Technician and Navigational Assistant Grade-I (Group ‘B’ posts) Recruitment Rules, 2015, in so far as they relate to the post of Senior Radio Technician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Radio Technician in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, namely: —

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Directorate General of Lighthouses and Lightships, Senior Radio Technician (Group ‘B’ post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be a specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Radio Technician.	16(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Selection.	Not exceeding thirty years of age (Relaxable for the Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Qualification: (i) Bachelor's degree in Electronics; or Communication; or Telecommunication; or Electronics and Communication; or Electronics and Telecommunication; or Electrical and Electronics; or Electronics and Instrumentation Engineering from a recognised University or Institutes or Section A and B of the Institution Examination of the Institution of Engineers, India in any of the above subjects or Associate Membership of Institute of Electronics and Telecommunication Engineers; or	Not applicable	Two years for Direct recruitment and promotees. **Note:-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Sixty–seven percent by direct recruitment; and (ii) thirty-three percent by promotion, failing which deputation (including short term contract).

(ii) Diploma in Electronics; or Communication; or Telecommunication; or Electronics and Communication; or Electronics and Telecommunication; or Electrical and Electronics; or Electronics and Instrumentation Engineering from a recognised institution. **Note:-** The candidates, having qualification of Associates Member of the Institute of Engineers, Associates Member of the Institute of Engineers (Electrical) or Graduate from Institute of Electronics and Telecommunication, who were enrolled with these institutions up to 31st May 2013, shall be eligible for consideration. **Experience:** For diploma holders, two years' experience in installation or maintenance of wired or wireless communication systems or electronics system or radar systems or electronic navigation system or radio transmitters is required. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Radio Technician in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) with six years regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of at least two to four weeks to be imparted by the department on Aids to Navigation.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -** 1) Senior Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairperson; 2) Senior Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statuary organisations or public sector undertaking or recognised University or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) the period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	3) An officer from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, dealing with the Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -** 1) Senior Deputy Director General of Lighthouses and Lightships - Chairperson; 2) Senior Director, Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member; 3) An officer from Ministry of Ports, Shipping and Waterways, dealing with the Directorate General of Lighthouses and Lightships - Member.	

[F. No. A-12081/1/2021-ADMIN-I]

N. MURUGANANDAM, Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.09 22:29:52 +05'30'